भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 757

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2024

एमएसएमई क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डालने वाली वित्तीय और अन्य प्रमुख समस्याएं

757. श्री रविचंद्र वद्दीराजू :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में, छोटी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बड़ी कंपनियों द्वारा शोषण भी है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न उपाय और पहल लागू किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन एमएसएमई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जिन्हें पुराने उपकरण और प्रौद्योगिकियां आयात और विदेशी निर्यात बाजारों में अप्रतिस्पर्धी बनाती है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) : सूक्ष्म, और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा सामना की जा रही एक प्रमुख चुनौती खरीददारों द्वारा विलंबित भुगतान है। सरकार द्वारा इस मामले के समाधान के लिए कई उपाय और पहलें की गई हैं:

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को विलंबित भुगतानों के मामलों के समाधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म, और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है।

ii. वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई को बकाया देयताओं की निगरानी के लिए दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल (**http://samadhaan.msme.gov.in/MyMSME/MSEFC/MSEFCWelcomer.aspx.**) की शुरुआत की गई है।

iii. एमएसएमई को केंद्रीय मंत्रालयों/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बकाया और मासिक भुगतान की सूचना देने के लिए आत्म निर्भर भारत घोषणाओं के बाद दिनांक 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल सृजित किया है।

iv. एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतानों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक संख्या में एमएसईएफसी की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। अभी तक, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक से अधिक एमएसईएफसी के साथ 159 एमएसईएफसी की स्थापना की गई है।

v. सरकार ने 500 करोड़ या उससे अधिक के टर्नओवर वाले सीपीएसई और सभी कंपनियों को बहु वित्त पोषकों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्य की छूट की सुविधा देने के लिए व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) नामक एक इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर स्वयं को शामिल करने का निर्देश दिया है।

vi. ऐसी कंपनियां जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति अर्जन करती हैं और जिसका भुगतान वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति की स्वीकृति की तिथि अथवा वस्तुओं और सेवाओं की मानी गई स्वीकृति की तिथि से 45 दिन से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान नहीं किया है को बकाया भुगतान की राशि और विलम्ब के कारणों का ब्यौरा देते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को छमाही रिटर्न देना आवश्यक होगा।

(ख) : सरकार ने एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कठिनाइयों के संबंध में एमएसएमई के लिए कई कदम उठाए हैं।

i. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए परियोजना लागत की 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है।

ii. आत्म निर्भर भारत (एसआरआई) फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को ग्रोथ कैपिटल प्रदान करना है।

iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा कोलेटरल प्रतिभूति और तृतीय पक्ष गारंटी के बिना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 5 करोड़ रुपए तक के संस्वीकृत ऋणों के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता करने हेतु पूरे देश में नए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) और विस्तार केंद्रों (ईसी) की स्थापना की है। ये टीसी/ईसी एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता, कौशल, इनक्यूबेशन और परामर्श जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, जो एमएसएमई को आयात तथा विदेशी निर्यात बाजारों के मामले के समाधान के लिए सक्षम बनाती है।
